कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा–माध्य/संस्था/सी–4/रजीगृ/रसायन विज्ञान/स्थानान्तरण/ 2020 दिनांकः 02.02.2021 के तहत श्रीमती बीना शेखावत, व्याख्याता, जीव विज्ञान का स्थानान्तरण राउमावि, सेतरावा, जोधपुर से राउमावि खुड़ियाला, बालेसर, जोधपुर किया गया।

श्रीमती बीना शेखावत द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 1064/2021 बीना शेखावत बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 20.01.2021 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष जोधपुर एवं इसके आस पास रिक्त पद दर्शाते हुए अपनी पीडा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करते हुए और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधिनुसार निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के दो बार सीजेरियन ऑपरेशन, गंभीर गायनिक बीमारी, पाईल्स ऑपरेशन एवं स्वयं के एमएड प्रथम डिवीजन के आधार पर विभागीय दिशा निर्देशों/परिपत्रों/ नियमों के अन्तर्गत निस्तारित करने एवं अपना पदस्थापन जोधपुर डाईट/राउमावि, बासनी तम्बोलिया, जोधपुर में नव स्वीकृत कृषि विज्ञान संकाय में व्याख्याता कृषि जीव विज्ञान अथवा राबाउमावि, बिलाड़ा, जोधपुर में किए जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

याचिकार्थी बीना शेखावत से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में एवं याचिकार्थी की विषम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इनका समायोजन राउमावि, बासनी तम्बोलिया, जोधपुर मे नव स्वीकृत कृषि संकाय में व्याख्याता कृषि जीव विज्ञान के पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवे।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–4/रजीगृ/बीना शेखावत/को.के/19–20 दिनांकः– 13.02.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक,माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार),प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ), जयपुर/जोधपुर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित संस्था प्रधान।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।
10. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्पयुटर अनुभाग।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर